न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 11/2017

रज्जु दिनांकः 23/02/2017

निर्णय दिनांकः 17/05/2017

1. पप्पू राम पुत्र श्री सुवा जाति जाट निवासी बीरमपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

.......वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं इन्द्रांज दूरूस्ती

उपस्थितः

श्री भोजराज सिंह राजावत एडवोकेट

विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

निर्णय दिनांकः 17/05/2017

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद घोषणा व इन्द्रांज दूरूस्ती का इस आशय का पेश किया कि आराजी खाता संख्या 9 के आराजी खसरा नम्बर 393 रकबा 05 बिस्वा, खाता संख्या 119 के आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 424/2 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 526/1 रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा, खाता संख्या 120 के आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 99 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 105 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 268 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 269 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 270 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 277 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 282 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 395 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 396 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 397 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 399 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 400 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 401 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 402 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 424/3065 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 526/3070 रकबा 10 बीघा व खाता संख्या 515 के आराजी खसरा नम्बर 2048 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 2050

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 2051 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 2052 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 2053 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2055 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 2056 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 2057 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 2058 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 2059 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 2060 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 2061 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2062 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 2063 रकबा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम कस्बा बीरमपुरा/पीपला पटवार हल्का पीपला भू0अभि0नि0 क्षैत्र चित्तोडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है। जिसका वादी दर्ज राजस्व रिकार्ड हिस्से अनुसार कब्जे काश्त खातेदारी आराजी है। जिसपर वादी अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चला आ रहा है व लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। उक्त आराजी वादी की पुस्तैनी आराजी भूमि है जो वादी को अपने पिता सुवा के फौती उपरान्त विरासतन प्राप्त भूमि है दौराने विरासत नामान्तकरण वादी नाबालिंग था वादी के भाई जगदीश, श्योजी, बाबूलाल, के साथ ही नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उस समय वादी का बोलता नाम रामफूल दर्ज कर दिया वादी जब बडा हुआ तब उसके समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, व शिक्षण संस्थान में नाम पप्पूराम पुत्र सुवा दर्ज हो गया एवं इसी नाम से वादी पुकारा जाता है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में रामफूल पुत्र सुवा दर्ज होने से वादी अपने हिस्से की आराजी को विकसित करने एवं राजकीय सुविधाओं से वंचित होने लगा है, रामफूल पुत्र सुवा व पप्पूराम पुत्र सुवा वादी के ही नाम है इसलिए वादी को अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दूरूस्त करवाना आवश्यक हुआ है। वादी का सही नाम पप्पूराम पुत्र सुवा है। एवं इसी नाम से गॉव में जाना पहचाना जाता है। पप्पूराम पुत्र सुवा एवं रामफूल पुत्र सुवा एक ही व्यक्ति है इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम बीरमपुरा में नही है। राजस्व कर कानूनगो ने वादी का नाम रामफूल पुत्र सुवा दर्ज कर दिया उक्त त्रुटि सहवन से हुई त्रुटि है वादी पप्पूराम पुत्र सुवा के नाम से खातेदार काश्तकार है इसलिए वादी को यह वाद इन्द्राज दूरूस्ती व घोषणा खातेदारी पेश करना लाजमी आया है। जिसे दूरूस्त किया जाना न्यायोचित है। वादी ही उक्त आराजी पर शुरू से लेकर आज तक अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। वादी का वाद कारण शुरू से ही उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वादी का अपना गलत नाम दर्ज होने की जानकारी होते ही कही मर्तबा हल्का पटवारी व राजस्व लोक अदालतो शिवरों में प्रार्थना पत्र पेश करता रहा है। परन्तु वादी का सही नाम पप्पूराम पुत्र सुवा दुरूस्त नही हुआ। अतः वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र घोषणा व इन्द्राज दूरूस्त किया जाकर डिक्री इस आशय की फरमाई जावे की विवादग्रस्त आराजी वर्णित वाद पत्र मद नम्बर 1 में वादी का सही नाम पप्पूराम पुत्र सुवा है एवं वादी खातेदार काश्तकार है।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गयी। पैरोकार सरकार ने जवाब व मौका रिपोर्ट पटवारी मयदस्तावेजात पेश की गयी। जो शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में बताया कि रामफूल पुत्र सुवा व पप्पूराम पुत्र सुवा जाति जाट को दो नामों से जाना जाता है। वास्ततिक नाम पप्पूराम पुत्र सुवा जाति जाट से ही जाना जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

साक्ष्य में स्वयं पप्पूराम व बाबूलाल, श्योजी पुत्र सुवा जाति जाट निवासी बीरमपुरा तहसील फागी के बयान लिये गये। साक्ष्य में सभी ने उक्त वाद की ताईद की है तथा निवेदन किया है कि रामफूल पुत्र सुवा के स्थान पर पप्पूराम पुत्र सुवा दुरूस्त किया जावें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन एवं वादी द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड व ग्राम पंचायत पीपला का प्रमाण पत्र के आधार पर एवं साक्ष्य के बयानों के आधार पर वादी का नाम पप्पूराम पुत्र सुवा सही है। इसलिये वादी का वाद लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर आराजी भूमि आराजी खाता संख्या 9 के आराजी खसरा नम्बर 393 रकबा 05 बिस्वा, खाता संख्या 119 के आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 424/2 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 526/1 रकबा 27 बीघा 05 बिस्वा, खाता संख्या 120 के आराजी खसरा नम्बर 78 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 79 रकबा 03 बीघा, खसरा नम्बर 99 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 105 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 268 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 269 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 270 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 277 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा खसरा नम्बर 282 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 395 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 396 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 397 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 399 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 400 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 401 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 402 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 424/3065 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 526/3070 रकबा 10 बीघा व खाता संख्या 515 के आराजी खसरा नम्बर 2048 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 2050 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 2051 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 2052 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 2053 रकबा 04 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 2055 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 2056 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 2057 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 2058 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 2059 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 2060 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 2061 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 2062 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 2063 रकबा 16 बिस्वा भूमि वाके ग्राम बीरमपुरा पीपला पटवार हल्का पीपला भू0अभि0नि0 क्षेत्र चित्तोडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित के राजस्व रिकार्ड में रामफूल पुत्र सुवा के स्थान पर पप्पूराम पुत्र सुवा जाति जाट का नाम दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। क्रमशः

निर्णय आज दिनांक 17.05.2017 को फॉलोअप कोर्ट केम्प फागी में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

मुद्रा

(सावन कुमार वायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर